बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक.....................   पटना, दिनांक.......................
5/स0 स्था0(खा0बो0)–01/2018

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0 एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय:– **बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत प्रस्थापना व्यय हेतु कुल राशि रू0–25113516.00 (दो करोड़ एकावन लाख तेरह हजार पाँच सौ सोलह रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।**

आदेश:– स्वीकृत।

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यरत एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सेवानिवृत हुए कर्मियों के प्रस्थापना व्यय हेतु कुल राशि राशि रू0–25113516.00 (दो करोड़ एकावन लाख तेरह हजार पाँच सौ सोलह रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त स्वीकृत राशि से बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना का एवं बोर्ड के अधीन केन्द्रों में कार्यरत/सेवानिवृत होनेवाले कर्मियों के वेतनादि एवं अन्य प्रस्थापना आदि पर होने वाले व्यय का वहन किया जाएगा।

3. इस राशि की निकासी मांग सं0– 23 के अन्तर्गत बजट मुख्य शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 105–खादी ग्रामोद्योग, उप शीर्ष–0001–बिहार राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता, विपत्र कोड– 23– 2851001050001–अंतर्गत विषय शीर्ष–0001.31.04 सहायक अनुदान– वेतन मद से रू0 21966306.00 एवं विषय शीर्ष–0001.31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन मद से रू0 3147210.00 अर्थात् कुल राशि रू0–25113516.00 (दो करोड़ एकावन लाख तेरह हजार पाँच सौ सोलह रूपये) मात्र से विकलित होगा जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में यथेष्ट बजट उपबंध है।

कृ0प0उ0

4\. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होगें। वे एक मुश्त राशि की निकासी कर RTGS/Bank Draft के माध्यम से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को उपलब्ध करायेगें। वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र के समायोजन की कार्रवाई महालेखाकार बिहार, पटना से करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5\. इस राशि का अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार वित्त (अंकेक्षण) एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को होगा।

6\. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध करायेंगे जिसे नियमानुसार महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा जायेगा।

7\. इस राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक– 8244 दिनांक– 02.08.2010 में निहित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा वित्त विभागीय पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक– 17.09.08 की कंडिका–2 का अनुपालन किया जायेगा।

8\. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0 सं0– *5/स0 स्था0 (खा0बो0) –01/2018* /पृ0– 06/टि0 दिनांक 18.05.2018 को प्राप्त है।

9\. वित्त विभागीय परिपत्र सं0–7355 वि0 (2) दिनांक– 05.10.07 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक————————— दिनांक–
5/स0 स्था0 (खा0बो0) –01/2018

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक——————————   दिनांक

5/स0 स्था0 (खा0बो0) –01/2018

प्रतिलिपिः– सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। महालेखाकार से वित्तीय वर्ष 2017–18 की स्वीकृत राशि का शीघ्र सामंजन कराने की शर्त पर वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रस्थापना व्यय हेतु राशि रू0– कुल राशि रू0–25113516.00 (दो करोड़ एकावन लाख तेरह हजार पाँच सौ सोलह रूपये) मात्र के स्वीकृत्यादेश पर सहमति दी जाती है।

ह0/–

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक——————————   दिनांक–

5/स0 स्था0 (खा0बो0) –01/2018

प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, महेश भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक——2154   दिनांक– 24.5.18

5/स0 स्था0 (खा0बो0) –01/2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/आय व्यय शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–5 (स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

24/5/18

(31)

आई0टी0 मैनेजर